पत्र संख्या-स्था0अराज0-सामान्य-2022-23// 661 //राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 09 मई, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के समय संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है, विशेष रुप से ऐसे प्रकरणों में, जहाँ कर्मचारी की मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की गयी है। आप भली-भाँति अवगत हैं कि अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के पीछे सरकार की मंशा मृतक के आश्रित के परिवारीजनों को जीविकोपार्जन की सुविधा उपलब्ध कराने की है। कर्मचारियों की समस्या के निस्तारण के समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रयागराज जोन व गाजियाबाद जोन में इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आये हैं, जिनमें कर्मचारी को सेवा से पद्च्युत/ पृथक्करण किए जाने की कार्यवाही बिना अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाए की गयी है।

अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कर्मचारियों को सेवा से पद्च्युत/ पृथक्करण किए जाने की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाये बिना सम्पादित न की जाए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

ह० 9/5/2022
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

ह० 9/5/2022
(पी0एन0 यादव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।